

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत 35 (पैंतीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों (नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पटना-13 को छोड़कर) के एकेडिमिक/छात्रावास में Water Purifier (RO) with Chiller के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रु. 5,00,000=00 मात्र की दर से कुल रु. 1,75,00,000=00 (एक करोड़ पचहतर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत 35 (पैंतीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों (नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पटना-13 को छोड़कर) के एकेडिमिक/छात्रावास में Water Purifier (RO) with Chiller के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रु. 5,00,000=00 मात्र की दर से कुल रु. 1,75,00,000=00 (एक करोड़ पचहतर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	रा. पो., गुलजारबाग, पटना	500,000.00
2	रा. म. पा. फुलवारीशरीफ, पटना	500,000.00
3	रा. पो., बरौनी	500,000.00
4	रा. पो., भागलपुर	500,000.00
5	रा. पो., दरभंगा	500,000.00
6	रा. पो., गया	500,000.00
7	रा. पो., पूर्णिया	500,000.00
8	रा. पो., सहरसा	500,000.00
9	रा. पो., छपरा	500,000.00
10	रा. पो., गोपालगंज	500,000.00
11	रा. पो., मुजफ्फरपुर	500,000.00
12	रा. पो., कटिहार	500,000.00
13	रा. पो., मुजफ्फरपुर	500,000.00
14	रा. पो., मधुबनी	500,000.00
15	रा. पो., वैशाली	500,000.00
16	रा. पो., अस्थावां	500,000.00
17	रा. पो., डिहरी-ऑन-सोन	500,000.00
18	रा. पो., लखीसराय	500,000.00
19	रा. पो., शिवहर	500,000.00
20	ब. खान इ. ऑफ पा. सीतामढ़ी	500,000.00
21	रा. पो., कैमुर	500,000.00
22	रा. पो., जमुई	500,000.00
23	रा. पो., बांका	500,000.00
24	रा. पो., मुंगेर	500,000.00
25	रा. पो., सुपौल	500,000.00
26	रा. पो., मधेपुरा	500,000.00
27	रा. पो., मोतिहारी	500,000.00

28	रा. पो., टेकारी (गया)	500,000.00
29	ब्र. ना. सिं. रा. पो., गोपालगंज	500,000.00
30	का. ना. सिंह रा. पो., समस्तीपुर	500,000.00
31	रा. पो., किशनगंज	500,000.00
32	रा. पो., सीतामढ़ी	500,000.00
33	रा. पो., नवादा	500,000.00
34	रा. पो., अररिया	500,000.00
35	रा. पो., सीवान	500,000.00
	कुल	17,500,000.00

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 -बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102- पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग /तकनीकी महाविद्यालय' के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-4202021040102 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी कोषागार, संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त राशि से सामग्रियों का क्रय GEM के माध्यम से किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) यो. - 23/ 2020-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) यो. - 23/ 2020-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) यो. - 23/ 2020-

/पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि:- संबंधित प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) यो. - 23/ 2020-

१११ /पटना, दिनांक- 12/3/2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव